12 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 72वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 72.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी) का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी)

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश

विस्तार : विकासक को चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 25 जून, 2014 तक वैध था।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जून 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**प्रस्तावित निवेश**
1.	भूमि की लागत	80 लाख रुपए
2.	निर्माण की लागत	1122.45 लाख रुपए
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--
4.	अन्य ऊपरी खर्च (वार्षिक अनुरक्षण)	--
	कुल	1202.45 लाख रुपए

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश:

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश
1.	भूमि की लागत	80	
2.	निर्माण की लागत	1016.65	
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--	
4.	अन्य ऊपरी खर्च	--	
	कुल	1096.65	

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	भूमि की लागत	100	100	--
2.	निर्माण की लागत	90	--	31 अक्टूबर 2016
3.	प्लांट एवं मशीनरी	--	--	
4.	अन्य ऊपरी खर्च	--	--	

विकासक ने बताया है कि उन्होंने एसईजेड में गतिविधि के निर्माण के लिए 11.22 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

तेलंगाना सरकार के सचिव ने बताया है कि तेलंगाना सरकार टियर टू शहरों को आईटी हब के रूप में आक्रामकता के साथ प्रमोट कर रही है और आईटीएसईजेड में अपना प्रचालन स्थापित करने के लिए कुछ बड़ी आईटी कंपनियों को आकर्षित करना संभव हो गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने 4 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 26 जून 2014 से 1 जुलाई 2018 तक की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 12 अप्रैल, 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कीरट क्राफ्ट्स जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 13 अप्रैल 2009
- **विस्तार :** 12 अप्रैल, 2013 तक 1 (एक)
- अनुरोध : वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**प्रस्तावित निवेश (मार्च 2009 में) (लाख रुपए में)**	**वास्तविक निवेश (31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार) (लाख रुपए में)**
1.	भूमि की लागत	149.80	176.66
2.	निर्माण की लागत	135.32	282.56
3.	प्लांट एवं मशीनरी	96.34	315.90

यूनिट ने 2015-16 के दौरान 68.22 लाख रुपए का निर्यात किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया है कि बांड सह विधिक वचन पत्र (फार्म एच) के पैरा 6 के अनुसार यूनिट विकास आयुक्त को ऐसी तिथि से एक माह के अंदर निर्यात के लिए उत्पादन / सेवा गतिविधियों के आरंभ होने की तिथि के बारे में सूचना प्रदान करेगी। विनिर्माण यूनिट के संबंध में, उत्पादन आरंभ होने की तिथि (डीसीपी) के रूप में वह तिथि ली जा सकती है जब एसईजेड से भौतिक निर्यात किया जाता है। वर्तमान मामले में एलओए की बढ़ाई गई अवधि 12 अप्रैल 2013 को समाप्त हो गई है जब पहले निर्यात के लिए यूनिट द्वारा 2 अप्रैल 2014 को लदान बिल दाखिल किया गया। इस प्रकार इस मामले में 13 अप्रैल 2013 से 02 अप्रैल 2014 (पहले लदान बिल की तिथि) की मध्यवर्ती अवधि के लिए एलओए को पुन: वैध करने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.9 : विविध मामले

(i) नाम बदलकर मैसर्स ग्लोबैंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स क्लैराइस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 2, ब्लू रिज टाउनशिप, कॉग्नीजेंट के पीछे, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क के पास, फेज-1, हिंजेवाड़ी, पुणे में मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 19 दिसंबर, 2013 को एलओपी प्रदान किया गया था। उक्त एलओपी 14 मार्च, 2019 तक वैध है।

यूनिट ने बताया है कि उन्होंने कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है और तद्नुसार कंपनी की कुल शेयर होल्डिंग का 76.13 प्रतिशत ग्लोबैंट एसए को हस्तांतरित किया जाएगा तथा कंपनी के मौजूदा शेयर धारक शेष 23.77 प्रतिशत शेयर के धारक बने रहेंगे।

इस सिलसिले में यूनिट ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

क्र. सं.	**नाम**	**31 अक्टूबर 2013 की स्थिति के अनुसार आरंभिक आवेदन**	**नाम में परिवर्तन से पूर्व (14 मई 2015)**	**परिवर्तन का प्रतिशत**
		शेयरों की संख्या (शेयर होल्डिंग का प्रतिशत)	शेयरों की संख्या (शेयर होल्डिंग का प्रतिशत)	
1.	ग्लोबैंट एसए	--	10,200 (76.13 प्रतिशत)	(+) 76.13
2.	संदीप चावड़ा	5,000 (40.13 प्रतिशत)	1,214 (9.06 प्रतिशत)	-31.07
3.	शशांक देशपांडे	5,000 (40.13 प्रतिशत)	1,214 (9.06 प्रतिशत)	-31.07
4.	हेमंत जोशी	1,500 (12.04 प्रतिशत)	268 (2.00 प्रतिशत)	-10.04
5.	शिरीष देवधर	480 (3.85 प्रतिशत)	85 (0.63 प्रतिशत)	-3.22
6.	मधुकर भाटिया	480 (3.85 प्रतिशत)	85 (0.63 प्रतिशत)	-3.22
7.	अनूप मेहता	--	332 (2.49 प्रतिशत)	+2.49
	कुल	12,460	13.398	

नाम में परिवर्तन के बाद यूनिट ने मौजूदा शेयरधारकों को और शेयरों का आवंटन किया है जिससे कुल प्रदत्त पूंजी 13398 से बढ़कर 14771 शेयर हो गई है तथा शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न इस प्रकार है :

		निगमन प्रमाण पत्र दिनांक 16 नवंबर 2015 के बाद	
क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	ग्लोबैंट एसए	11,573	78.35
2.	संदीप चावड़ा	1,214	8.22
3.	शशांक देशपांडे	1,214	8.22
4.	हेमंत जोशी	268	1.81
5.	शिरीष देवधर	85	0.58
6.	मधुकर भाटिया	85	0.58
7.	अनूप मेहता	332	2.24
	कुल	14,771	100.00

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है क्योंकि शेयर होल्डिंग में परिवर्तन है और 76.13 प्रतिशत के नियंत्रक शेयर ग्लाबैंट एसए को हस्तांतरित किए गए हैं, इसलिए प्रस्ताव 23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) एसईजेड के मेगाफूड पार्क में 1856.5335 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड (एएफएपीएल) अर्थात बहु उत्पाद एसईजेड, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के सह विकासक का अनुरोध

मैसर्स अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने बताया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के अनुसार एपीएसईजेड में एक मेगा फूड पार्क के विकास के लिए उनको सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है।

उक्त यूनिट डीटीए से दालों का प्रापण करेगी, उसे खंडित दाल और बेसन में प्रोसेस करेगी, खंडित दाल को डीटीए क्रेताओं को बिक्री करेगी और एसईजेड नियमावली की रूपरेखा के अंदर बेसन का तब तक निर्यात करेगी जब तक कि यूनिट एसईजेड नियमावली के नियम 53 के अनुसार एनएफई प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी प्रस्तावित यूनिट भारत सरकार द्वारा ऐसे माल का निर्यात निषिद्ध होने तक दालों / खंडित दाल का निर्यात करना नहीं चाहती है और इस प्रकार इसकी गतिविधियां अनुमत गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी।

मैसर्स अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने बताया है कि दाल प्रसंस्करण यूनिट की क्षमता 800 टन प्रतिदिन होगी तथा बेसन का आईटीसी (एचएस) कोड 11061000 है और दाल का आईटीसी (एचएस) कोड 07131000 है। एसईजेड यूनिट अडानी एग्रो फूड पार्क में स्थित होगी जो 1856 हेक्टेयर के नए अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड में स्थापित की जा रही है तथा सह विकासक अर्थात अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क लिमिटेड को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

इसका अभिप्राय यह है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एसईजेड को आपूर्त किए गए किसी माल को निर्यात माना जाता है। इस सिलसिले में उल्लेखनीय है कि आईटीसी (एचएस) 2012, अनुसूची 2 - निर्यात नीति के अनुसार 07131000 के रूप में आईटीसी (एचएस) कोड वाली मदों को निषिद्ध मदों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है

और इसलिए उनके निर्यात की अनुमति नहीं है। इसके अलावा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 45 के अनुसार;

वर्तमान मामले में यूनिट बेसन (आईटीसी एचएस 11061000) की बिक्री के लिए डीटीए से प्राप्त किए गए दालों का प्रसंस्करण करेगी जिसका स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है। यह कार्य किसी डीटीए यूनिट द्वारा किया जा सकता है परंतु एसईजेड में यह कार्य करने के लिए निर्यात के लिए निषिद्ध मदों से एसईजेड यूनिट द्वारा डीटीए प्रापण की अनुमति के लिए विशेष छूट की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) आदेश दिनांक 16 मई 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में उद्यमिता को आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी 1/सह विकासक) और स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी 2/सह विकासक) से बदलकर आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (समामेलित कंपनी / विकासक) करने के लिए अनुरोध

मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स आचविस साफ्टेव प्राइवेट लिमिटेड) 10.0498 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने मैसर्स आईटीएसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार करने का प्रस्ताव किया है तथा योजना के अनुसार मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सह विकासक) और मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (सह विकासक) को मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ समामेलित करने का प्रस्ताव किया गया।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 मई 2016 के अनुसार मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने समामेलन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के पत्र तथा समामेलन की संलग्न योजना के अनुसार अन्य बातों के साथ उपर्युक्त योजना में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है :

(i) यह कि मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीपीएल) की पूर्णत: सहायक कंपनी है अर्थात एआईपीएल में ओबीपीपीएल 100 प्रतिशत शेयरों का धारक है।

(ii) यह कि मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीपीएल) की पूर्णत: सहायक कंपनी है अर्थात एआईपीएल में ओबीपीपीएल 100 प्रतिशत शेयरों का धारक है।

(iii) यह कि चूंकि समामेलक कंपनी 1 और समामेलक कंपनी 2 की संपूर्ण निर्गत, अभिदत्त और संदत्त शेयर पूंजी समामेलित कंपनी द्वारा धारित की गई है इसलिए किसी भी समामेलक

कंपनी में होल्डिंग के बदले में समामेलित कंपनी को कोई शेयर आवंटित नहीं किया जाएगा तथा समामेलक कंपनियों की शेयर पूंजी निरस्त हो जाएगी।

(iv) यह कि समामेलन पूर्णत: स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियों (अर्थात एआईपीएल और एसडब्ल्यूपीएल) का उसकी मूल कंपनी (अर्थात ओबीपीपीएल) में है, आक्सीजन एसईजेड के समग्र नियंत्रण या प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं है।

(v) समामेलन की संस्वीकृति योजना के अनुसरण में अन्य बातों के साथ समामेलक कंपनी 1 और समामेलक कंपनी 2 की सभी परिसंपतियां, देयताएं, अधिकार एवं बाध्यता (नोएडा द्वारा आवंटित उप पट्टा तथा एसईजेड के सह विकास के संबंध में अनुमोदन बोर्ड, वाणिज्य विभाग तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड से अनुमोदन सहित) समामेलित कंपनी अर्थात ओबीपीपीएल को हस्तांतरित की जाएगी।

विकासक आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया है कि आदेश दिनांक 16 मई 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में उद्यमिता को आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी 1/सह विकासक) और स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (समामेलक कंपनी 2/सह विकासक) से बदलकर आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (समामेलित कंपनी / विकासक) करने का प्रस्ताव इसके साथ अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अग्रेषित किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 1)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) एसईजेड के क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप को "परिधान" से बदलकर "वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं" करने के लिए अनुरोध जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी), गांधी नगर द्वारा प्रस्तुत किया गया है

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी), गांधी नगर द्वारा एसईजेड के क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप को "परिधान" से बदलकर "वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं" करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जीआईडीसी, गांधीनगर में अभिवेदन में बताया है कि उन्होंने एसईजेड के क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप को "परिधान" से बदलकर "वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं" करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 43वीं बैठक में उनके प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह कहते हुए मामले को आस्थगित कर दिया गया कि "अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुबंध 2 की श्रेणी में आने वाले एसईजेड के संबंध में "वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुओं" के साथ "परिधान" की श्रेणी की ब्राड बैंडिंग के लिए प्रावधान करने के लिए एसईजेड नियमावली में संशोधन किया गया है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि ऐसे प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वाणिज्य विभाग के लिए ईजीओएम का अभी तक गठन नहीं हुआ है तथा जब ईजीओएम का गठन होगा तब उसके विचारार्थ ऐसे मामलों को रखा जा सकता है। तब तक इन प्रस्तावों को आस्थगित समझा जाए।"

अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ मामले को पहले रखा गया था तथा निर्णय लिया गया कि ईजीओएम का गठन हो जाने पर निर्णय के लिए संपर्क किया जा सकता है। अब 31 मई 2014 से ईजीओएम प्रणाली बंद हो गई है।

ब्राड बैंडिंग : "सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के प्रावधानों ने न्यूनतम क्षेत्रफल के मापदंड के प्रयोजनार्थ एकल सेक्टर के रूप में माने गए प्रत्येक ब्राड बैंडेड सेक्टर के समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टरों की श्रेणियां शुरू की हैं। ब्राड बैंडिंग का सिद्धांत इस तथ्य को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा कि अतिरिक्त यूनिटों के लिए अतिरिक्त पर्यावरणीय बाह्यताओं की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी ब्राड बैंडिंग के कारण आएंगी। किसी सेक्टर को शामिल करने वाली ऐसी ब्राड बैंडेड श्रेणी के कुछ निदर्शनात्मक उदाहरणों में शामिल हैं :

- टेक्सटाइल, परिधान, होजरी, फैशन गारमेंट, वूल और कार्पेट
- लेदर, लेदर हैंडीक्राफ्ट, लेदर गारमेंट और खेल के सामान
- आटो कंपोनेंट्स / पार्ट्स, लाइट इंजीनियरिंग
- जैव प्रौद्योगिकी, फर्मास्युटिकल एवं रसायन
- आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट तथा हार्डवेयर विनिर्माण, गैर परंपरागत ऊर्जा, बीपीओ (विधिक, चिकित्सा तथा समान सेवाओं सहित), केपीओ तथा अनुसंधान एवं विकास

सेक्टर की संबंधित सहायक सेवाओं तथा अनुसंधान एवं विकास की सेवाओं को शामिल किया जाएगा तथा सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाएगा। क्षेत्र की आवश्यकता की सुसंगति आदि के आधार पर किसी सेक्टर में ब्राड बैंडिंग के लिए अतिरिक्त श्रेणियों को अनुमत करने के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के पास विवेकाधिकार होगा।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 72.10 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

एसईजेड नियमावली के नियम 6(2) (क) के अनुसार, औपचारिक अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है तथा इस समय तक कम से कम 1 यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए तथा ऐसे उत्पादन के आरंभ होने की तिथि से एसईजेड क्रियाशील हो जाना चाहिए। इस नियम के परंतुक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रावधान है जिसके लिए विकासक संबंधित विकास आयुक्त को फार्म सी1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो 15 दिन के अंदर इसे अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

निम्नलिखित मामलों में वाणिज्य विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, चूंकि विकासक द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गई है इसलिए विकास आयुक्त ने विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। मामले का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	**विकासक / सह** विकासक का नाम	**क्षेत्र**	**औपचारिक अनुमोदन की तारीख**	**क्षेत्र**	**अभ्युक्तियां**
1.	मैसर्स मुट्ठा	आईटी /	6 नवंबर	एसईईपीजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की

	रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	आईटीईएस क्षेत्र	2006		वैधता अवधि 05 नवंबर, 2009 को समाप्त हो गई है। विकासक ने 8 अक्टूबर 2013 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। विकासक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 1 और 7 (2) के तहत दस्तावेज और प्रमाण पत्र जो राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया है। कलर मैप स्वत: स्पष्ट नहीं था और यह कि भूमि विवरण भूमि प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं था। विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2015, 17 जून 2015 और 29 अप्रैल 2016 के बावजूद विकासक 9 जून 2016 को निजी सुनवाई के लिए प्रदान किए गए अवसर के लिए उपस्थित नहीं हुआ है और औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। अत: विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पत्र दिनांक 7 जुलाई 2016 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए निरसन के प्रस्ताव की सिफारिश की है।
2.	मैसर्स ब्राडवे इंटीग्रेटेड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र।	आईटी / आईटीईएस	06 नवंबर 2006	एसईईपीजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2009 को समाप्त हो गई है। विकासक ने एसईजेड की अधिसूचना के लिए आवेदन किया था और तद्नुसार दस्तावेजों की जांच के बाद विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पाया कि भूमि कृषि भूमि है तथा एसईजेड में एक आम रास्ता है। तथापि, विकासक ने जोन में परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया तथा एक वचन पत्र प्रदान किया जिसमें बताया गया कि वे सड़क को भूखंड की परिधि से बाहर डायवर्ट करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो वे अपनी संपत्ति के आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए छोटी सड़क की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पत्र दिनांक 18 मई 2016 के माध्यम से विकासक को एसईजेड के कार्यान्वयन की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। तथापि, विकासक न तो निजी सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ और न ही जोन की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पत्र दिनांक

					21 नवंबर 2014 तथा 9 जून 2016 के माध्यम से निजी सुनवाई के लिए विकासक को आमंत्रित किया परंतु विकासक निजी सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार विकास आयुक्त ने निरसन के लिए अनुमोदन बोर्ड को उपर्युक्त मामले की सिफारिश की है।
3.	मैसर्स वेरिटास इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड (गांव शाहबाज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र)।	जैव प्रौद्योगिकी	31 दिसंबर 2009	एसईईपीजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 दिसंबर, 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक को पत्र दिनांक 25 फरवरी 2013 और 3 जून 2013 के माध्यम से व्यवसाय योजना तथा कार्य योजना / उपायों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया जो अध: तल भूमि जहां पानी जमा होता है, में एसईजेड भूमि की सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए जाएंगे। विकासक से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद 17 अक्टूबर 2013 और 28 अगस्त 2014 को अनुस्मारक पत्र भेजे गए। विकासक ने इस कार्यालय द्वारा मांगे गए ब्यौरे प्रदान नहीं किए। इसके अलावा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पत्र दिनांक 19 जनवरी 2016 के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करने के लिए योजना / उपाय प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार के स्थानीय राजस्व प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के भी कहा जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि एसईजेड में कोई जलपिंड नहीं है / एसईजेड से होकर कोई आम रास्ता नहीं गुजरता है। विकासक ने पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2015 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जो 30 दिसंबर 2012 को समाप्त हो गया था। तथापि, जांच के बाद पाया गया कि व्यवसाय एवं कार्य योजना / उपाय जो अध: तल क्षेत्र में भूमि की सन्निकटता स्थापित करने के लिए विकासक द्वारा किए जाएंगे, जहां पानी जमा होता है, विकासक द्वारा पृष्ठांकित नहीं किए गए। विकासक को 6 जून 2016 और 29 जुलाई 2016 को निजी सुनवाई का अवसर पुन: प्रदान किया गया तथा एक माह के अंदर मांगे गए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। तथापि, विकासक ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने निरसन के लिए अनुमोदन बोर्ड से उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।
4.	मैसर्स सलोनी	जैव	22 नवंबर,	एसईईपीजेड	एसईजेड को 31 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया

	बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (गांव खारीवली एवं भोपीवली, थाणे, महाराष्ट्र)	प्रौद्योगिकी पार्क	2007		गया। विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2010 को समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अवसंरचना के विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पत्र दिनांक 27 अक्टूबर 2014 और 26 दिसंबर 2014 के माध्यम से विकासक से विस्तृत व्यवसाय योजना, अब तक किए गए निवेश, पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद वृद्धिमूलक निवेश तथा भौतिक प्रगति का ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध पुन: किया है। तथापि, विकासक ने न तो कोई जवाब दिया और न ही उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए। विकासक को निजी सुनवाई के लिए 22 अगस्त 2015 को और फिर 6 नवंबर 2015 को बुलाया गया। तथापि, विकासक न तो सुनवाई के लिए आया और न ही उसने निजी सुनवाई के लिए उपस्थित न होने का कोई कारण बताया। इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2014 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के प्रस्ताव की सिफारिश करने के बारे में विकासक को सूचित किया है। विकास आयुक्त ने निरसन के लिए अनुमोदन बोर्ड से प्रस्ताव की सिफारिश की है।

******